I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB PANCHKULA **Year (वर्ष):** 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 26/05/2021 12:28 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	420
2	IPC 1860	511

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 09/06/1987 **Date To (दिनांक तक):** 26/05/2021

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 12:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/05/2021 **Time (समय):** 12:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date and Time (दिनांक और समय):** 26/05/2021 12:00 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-EAST, 05 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): छोटा हरिपुर सै0-11, पंचकुला,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** DSP OM PARKASH

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 15/08/1964 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB PKL, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB PKL, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9996781050

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	JOGINDER SINGH		Father's Name: SH. HAZARA SINGH	1. CHHOTA HARIPUR SEC-11 PKL,PANCHKULA SECTOR-5,PANCHKULA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल लेख इस प्रकार से है सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला मण्डल, पंचकुला श्रीमान जी, निवेदन है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 58/43/16-1, चौकसी-(1) दिनांक 05.09.2018 की अनुपालना में जांच क्रमांक 15 दिनांक 11.09.2018, पंचकुला दर्ज रजिस्टर होने उपरान्त महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृ0 क्रमांक 12857/ आई0-6/रा0चौ0ब्यूरो, दिनांक 12.09.2018 अनुसार पड़ताल हेतु प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच निरीक्षक जयपाल, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र, यमुनानगर द्वारा पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकुला की सीधी देख-रेख में की गई थी। जिसमें आरोप था कि गांव छोटा हरिपुर की जमीन सै0-11, पंचकुला के लिये वर्ष 1987 में अधिग्रहण करके हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के हवाले कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में दायर CWP में आदेश दिये थे कि पोलिसी मुताबिक भूमि मालिको को रिहायशी प्लाट दे दिये जाये। पोलिसी अनुसार जोगिन्द्र सिंह को भी एक प्लाट दे दिया था, जिसने बाद में यह प्लाट बेच दिया। जोगिन्द्र सिंह ने इस सम्बन्ध में अदालत में एक केस दायर कर दिया, जिसमें हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण अधिकारियों की मिलीभगत से सुनवाई के दौरान कोई अधिकारी कोर्ट में पेश नही हुआ। अदालत ने हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण को एक्स पार्टी घोषित कर दिया और जमीन पर स्टे लगा दिया। तीन साल तक केस एक्स पार्टी चलता रहा। हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण ने इस आदेश के खिलाफ सैशन कोर्ट, पंचकुला में अपील की, जिसमें सुनवाई के दौरान न्यायधीश ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोगो ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा करने के लिये धोखाधड़ी की है। इसमें हरियाणा विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की मिलीभगत को भी नकारा नही जा सकता। याचिकाकर्ता द्वारा इस केस में सभी तथ्य छुपाते हुये माननीय उच्च न्यायालय में CWP No. 1760 आफ 1995 दायर कर दी, जिसमें उसने सभी तथ्य छुपा लिये, जिसके चलते माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.02.1996 को हरियाणा विकास प्राधीकरण के खिलाफ फैसला देते हुये अधिग्रहण की गई जमीन को रिलीज करवा दिया। इससे सरकार को भारी वित्तिय हानि हुई है। वर्तमान में इस जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपयें के करीब है। जिसकी पड़ताल से पाया गया कि वर्ष 1987 में हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण द्वारा सैक्टर-11, पंचकूला को विकसित करने के लिए गांव छोटा हरिपुर की भूमि खसरा न0 27 में 9 कनाल 17 मरले व खसरा नं0 14//26 में 0-17 मरले कुल 10 कनाल 14 मरले भूमि अवार्ड नं0 4 दिनांक 09.06.1987 द्वारा अधिग्रहण की गई थी। अधिग्रहण भूमि में गैर मुमकिन मकान भी अधिग्रहण किये गये थे। अवार्ड में जोगिन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह का मकान खसरा नं0 27 मिन (टुकड़ा) में दिखाया गया है, जिसमें एक बेरी का पेड़ भी दिखाया गया है। मकान की कीमत 2203/-रूपयें व बेरी के पेड़ की किमत 685/- रूपये निर्धारित की गई थी। रिकार्ड अनुसार जमीन के असल मालिकों का मुआवजा भूमि अर्जन अधिकारी, पंचकूला द्वारा सैशन कोर्ट, अम्बाला में जमा करवा दिया था। अधिग्रहण की गई भूमि में जोगिन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह मालिक नहीं था। जिस द्वारा इस भूमि पर कब्जा किया हुआ था। भूमि अर्जन अधिकारी, पंचकूला द्वारा जोगिन्द्र सिंह के मकान व पेड़ की राशि जिला सैशन अदालत, अम्बाला में जमा करवा दी गई थी। अधिग्रहण भूमि में जिन व्यक्तियों के गैर मुमकिन मकान बने हुए थे, उन द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायालय, चण्डीगढ में CWP No. 1760 आफ 1995 दायर कर दी गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण की पोलिसी अनुसार सभी 11 व्यक्तियों को

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

प्लाट देने के आदेश दिये तथा प्लाट ओफर के लिए तीन माह का समय दिया गया था। इस फैसले के विरूद् हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की, जो दिनांक 20.08.1998 को डिशमिश कर दी गई और उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले अनुसार 7 व्यक्तियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 2-2 मरले के प्लाट आस्टीज कोटे के अनुसार अलाट किये गये, जिनमें प्लाट नं0 1466 जोगिन्द्र सिंह को दिनांक 24.09.2008 को अलाट किया गया, जिसकी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 8730/रू0 प्रति वर्ग गज के हिसाब से कुल 3,63,383/- रूपयें कीमत रखी गई थी। जिसकी प्रतिवादी जोगिन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 21.10.2008 को 90,847,00/रू0 व दिनांक 27.10.2009 को 46,000/रू0 अदा करने उपरान्त उक्त प्लाट को दिनांक 21.01.2010 को श्री अजय कुमार गर्ग वासी मकान नं0 809 सैक्टर-9 पंचकूला को बेच दिया गया। प्रतिवादी जोगिन्द्र सिंह ने खसरा नं0 27 में अर्जित 9 कनाल 17 मरले भूमि को अपनी मलकियत बताते हुए जिला न्यायालय व माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में कई केस दायर कर दिये। जोगिन्द्र सिंह द्वारा एक ब्राँच CWP No. 13486 ऑफ 2016 दायर की थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य कई ब्राँच की सुनवाई करते हुये दिनांक 27.10.2016 को जोगिन्द्र सिंह के हक में फैंसला कर दिया था। जिसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस ब्राँच के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू पटीशन नं0 258 ऑफ 2017 दायर कर दी थी, जो दिनांक 02.02.2018 को अलाऊड हो गई थी। प्रतिवादी जोगिन्द्र सिंह द्वारा दायर की गई ब्राँच CWP No. 13486 ऑफ 2016 में माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 27.10.2010 को उसके हक में हुये फैसले पर माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंव हरियाणा चण्डीगढ ने पुनःअलग से सुनवाई करते हुये ब्राँच CWP No. 13486 ऑफ 2016 में दिनांक 27.10.2010 के फैसले को खारिज किया जाना पाया गया। जिसका फैंसला दिनांक 24.08.2020 को हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण के हक में होना पाया गया। हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण द्वारा पुलिस सहायता से अधिग्रहण की गई भूमि पर गैर कानूनी तौर पर बने हुए मकान दिनांक 24.06.2018 को गिरा दिये गये। गिराये गये मकानों में जोगिन्द्र सिंह का मकान भी था। जोगिन्द्र सिंह द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण के अधिकारियों व पुलिस तथा अन्य लोगों को पार्टी बनाते हुए एक सी.ओ.सी.पी. नं0 1399 आफ 2018 दायर कर दी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2019 को उक्त सी.ओ.सी.पी. व सी.डब्ल्यू.पी.नं0 13486 ऑफ 2016 के साथ सुनने के आदेश पारित किये थे। जो यह सी.ओ.सी.पी. भी माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंव हरियाणा चण्डीगढ द्वारा खारिज की जानी पाई गई। जिसका फैंसला दिनांक 24.08.2020 को हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण के हक में होना पाया गया। जोगिन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह को अधिग्रहण की गई भूमि में बने हुए मकान के बदले वर्ष 2008 में ऑस्टिज कोटा से प्लाट न0 1466 सैक्टर-11, पंचकूला में अलाट हुआ था, जिसे जोगिन्द्र सिंह द्वारा बेच दिया गया। जोगिन्द्र सिंह द्वारा दायर याचिका CWP No. 1760 of 1995 दिनांक 27.02.1996 को खारिज हो गई थी। जिसने सभी तथ्यों को छुपाते हुये दिनांक 28.10.2010 को सरकार को प्रतिवेदन दिया व 9 कनाल 17 मरले भूमि को रिलीज करवाने के आदेश प्राप्त कर लिये थे। जिसके सम्बन्ध में शहरी सम्पदा निदेशालय द्वारा मीमो नं0 11341-43 दिनांक 01.10.2012 अनुसार पत्र भी जारी कर दिया था। प्रतिवादी जोगिन्द्र सिंह द्वारा इस भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एव हरियाणा, चण्डीगढ़ में दायर की गई CWP No. 13486 आफ 2016 व सी.ओ.सी.पी. न0 1399 आफ 2018 में सुनवाई करते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त सी.डब्ल्यू.पी. व सी.ओ.सी.पी. को खारिज करते हुये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला के हक में फैंसला दिया है। इस भूमि पर हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण पंचकूला का कब्जा होना पाया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी जोगिन्द्र सिंह ने अपने प्रतिवेदन में उपरोक्त तथ्यों को छुपाकर लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसलिये जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह निवासी गांव छोटा हरिपुर, सैक्टर-11, पंचकुला के विरुद्ध अपराध जेर धारा 420, 511 भा0दं0सं0 का होना पाया जाने पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 58/43/2016-1 चौकसी-1, दिनांक 07.05.2021 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 7302/आई0-1/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 13.05.2021 अनुसार अभियोग दर्ज करने तथा अनुसंधान के दौरान किसी अन्य की मिलीभगत पाई जाये तो उसे भी देख लिये जाने के आदेश प्राप्त हुये है। अतः जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह निवासी गांव छोटा हरिपुर, सैक्टर-11, पंचकुला के विरुद्ध धारा 420, 511 भा0दं0सं0 के तहत अभियोग दर्ज रजिस्टर करने हेतु लेख प्रस्तुत है, जिस पर अभियोग अंकित करके प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतियां ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जाये। नकल मिसल मय असल लेख आगामी अनुसंधान हेतु उच्च अधिकारीगण के आदेश अनुसार निरीक्षक अजय दिसोदिया, थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकूला के हवाले की जाये। अज थाना:- PS/SVB/PKL. Sd Om Parkash (औम प्रकाश, ह0पु0से0), उप पुलिस अधीक्षक, थाना, राज्य चौकसी ब्यूरों, सैक्टर-17, पंचकुला। दिनांक 26.05.2021 समय:- 11.40 Am अज थाना – उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 03 दिनांक 26.05.2021 धारा 420, 511 भा0द0सं0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला दर्ज रजिस्टर किया गया । प्र0सू0रि0 की प्रतियां ईलाका मैजीस्ट्रेट साहब पंचकुला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । अभियोग की पुलिस फाईल व असल तहरीर आगामी अनुसंधान के लिए मन निरीक्षक द्वारा खुद की तहबील में ली गई। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** AJAY DISODIA **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): insp **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Manbir Singh

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1966				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)